

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/सामान्य/2019/

दिनांक:-

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित अराजपत्रित सवर्ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक व अन्य कारणों से किये गये। उनमें से कुछ कार्मिकों द्वारा संदर्भित आदेशों के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान अपील अधिकरण के समक्ष वाद दायर किये गये। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश भी जारी किये गये। इस कारण कुछ चिकित्सा संस्थानों पर एक स्वीकृत पद के विरुद्ध दो कार्मिक कार्यरत हो गये एवं कुछ चिकित्सा संस्थानों पर कार्मिकों के पद व्यवहारिक रूप से रिक्त हो गये हैं इन संस्थानों पर उपलब्ध कराई जाने वाली चिकित्सा सेवाएँ एवं विभाग का प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की पूर्ण आशंका है।

अतः वर्तमान सरकार द्वारा किये गये स्थानान्तरण आदेशों पर कार्मिकों द्वारा लिये गये स्थगन आदेशों में नियुक्त सभी संबंधित प्रभारी अधिकारी केस को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी स्थगन आदेशों में माननीय न्यायालय में जवाबदावा शीघ्र प्रस्तुत कर राज्य पक्ष में प्रतिरक्षण की कार्यवाही कराते हुए शीघ्रातिशीघ्र vacate करवाने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

- 52 -  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/सामान्य/2019/125

दिनांक:- 3/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को उनकी टिप्पणी क्रमांक 3108 दिनांक 15.04.19 के संन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप-3 विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक (जनस्वास्थ्य) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
9. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह संघ राजस्थान।
10. समस्त केस प्रभारी अधिकारी राजस्थान को तत्काल पालनार्थ
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर